

पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
पष्ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव
सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या-नि0-2/एन0ओ0सी0/ 2015-16 दिनांक ७५/८/२०१६

विषय- सेंट फ्रांसिस स्कूल फार हियरिंग इम्पेरियर्ड मिश्रीबाग ठाकुरगंज चौक, लखनऊ (St. Francis School for the Hearing Impaired, Mishribagh, ThakurGanj, Chowk, Lucknow) को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में बॉय सर्कुलेशन बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सेंट फ्रांसिस स्कूल फार हियरिंग इम्पेरियर्ड मिश्रीबाग ठाकुरगंज चौक, लखनऊ (St. Francis School for the Hearing Impaired, Mishribagh, ThakurGanj, Chowk, Lucknow) को संन्दर्भ बोर्ड ऑफ संकेण्डरी एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उं0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन/प्रशासन/जिम्माग द्वारा सामान-सामान पर जे भी लादेश/निर्देश निर्गत किये जाएंगे, उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन

S.

नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभांति प्रशिक्षित है।

10. शिक्षण कक्ष, लाइब्रेरी तथा प्रयोगशाला कक्ष यद्यपि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु निर्धारित मानक से कम माप के हैं, किंतु विद्यालय द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रांलय (Misntry of Social Justice & Empowerment) की Scheme to Promote Voluntary Action For Persons With Disabilities Part B के प्रस्तर 3 (पृष्ठ संख्या 28 & 29) के अनुसार इस प्रवृत्ति के विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 8 का उल्लेख है। प्रदेश सरकार द्वारा हिन्दी माध्यम के मान्यता विषयक प्राविधानों के अनुसार अनुपात 09 वर्गफीट भूमि अनुमन्य है। अतः विशेष आवश्यकता समूह से सम्बन्धित होने के कारण प्रत्येक प्रति छात्र 09 वर्गफीट भूमि अनुमन्य है। कक्षा में अधिकतम् छात्र/छात्राओं की संख्या 10 तक सीमित रखी जायेगी।
11. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

श्रीमती (सुत्ता सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पृ०सं०-नि०-२/एन०ओ०सी०/ ५८८३-४० /2014-15 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि--निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
- आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
- जिलाधिकारी लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रबन्धक, सेंट फांसिस स्कूल फार हियरिंग इम्पेरिड मिश्रीबाग ठाकुरगंज चौक, लखनऊ।
- गार्ड फाइल

श्रीमती (सुत्ता सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव